



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

दिनांक 17.06 .2025

सेवा मे,

सचिव,
शिक्षा विभाग,
दिल्ली जीएनसीटी, पुराना सचिवालय,
विधानसभा के पास, दिल्ली, 110054
E.mail: secyedu@nic.in

विषय: लगभग 15 माह से निलंबित चल रहे, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत श्री हरि सिंह मीना, व्याख्याता (हिंदी), राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली को उनके पद पर पुनः बहाल करने के संबंध में- श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्कलेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली का दिनांक 18.12.2024 का पत्र/अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री हरि सिंह मीना,
सी-168/ए, समता एन्कलेव,
कुतुब विहार, फेज-1, बड़ा आटा चक्की के पास,
नई दिल्ली - 110071,
Mobile No:7042535005

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्क्लेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीया सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्क्लेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली से दिनांक 18.12.2024 के मेल/पत्र द्वारा शिकायत आयोग में प्राप्त हुई थी। इसमें उन्होंने बताया की शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत अपने लगभग 15 माह के निलंबन को चुनौती देते हुए उन्हें व्याख्याता (हिंदी) पद पर पुनः बहाल करने के संबंध आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। श्री मीना ने अपने अभ्यावेदन में आगे यह उल्लेख किया है कि विभागीय जांच में उनके विरुद्ध शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं तथा जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन्हें केवल परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। उन्हें निलंबन आदेश जारी होने के 15 महीने बीत जाने के बाद भी गुजारा भत्त की राशि को 50 प्रतिशत से न बढ़ाकर जस का तस रखा हुआ है। इससे इनकी पारिवारिक स्थिति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा उनके बच्चियों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आयोग से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा उनकी सेवा में पुनः बहाली का अनुरोध किया है।

2. मामले में आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 26.12.2024 सचिव, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए भेजा गया।

उत्तर रिपोर्ट दिनांक 24.01.2025 उप निदेशक से आयोग को प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा बताया गया की श्री हरि सिंह मीणा, प्रवक्ता (हिंदी), के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है जिसका विवरण है की:-

- श्री हरि सिंह मीणा को दिनांक 21.09.2023 को निदेशक (शिक्षा) द्वारा निलंबित किया गया है।
- यह निलंबन अनुशासनहीनता के आरोपों और उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जाँच के तहत किया गया।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

- निलंबन आदेश की प्रति आयोग को प्रेषित की गई है।
 - कार्यवाही अभी लंबित है और अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है।
3. विभाग द्वारा रिपोर्ट में आयोग को अवगत कराया गया है कि श्री मीना विभागीय कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कार्रवाई पूर्ण होने में विलंब हो रहा है।
4. याचिकाकर्ता से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने मामले में सुनवाई की मांग की थी तदुसार मामले में दिनांक 16.05.2025 को आयोग द्वारा सिटिंग तय की गई और सम्बन्धित को सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
5. सुनवाई हेतु सचिव, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को नोटिस भेजा गया था जिनके स्थान पर विभाग के पदाधिकारी व याचिकाकर्ता शामिल हुआ।

मामले की सुनवाई के उपरान्त आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं :-

1. इस मामले में प्रार्थी विभागीय जाँच में पूर्णतया सहयोग करेंगे ताकि जाँच का जल्द निपटारा हो सके।
2. शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आयोग को आश्वासित किया है की वे सकारात्मक कार्यवाही कर 30 दिवस में सभी रिपोर्ट्स आयोग को प्रेषित करेंगे।

आशा लकड़ा
12/06/2025
(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

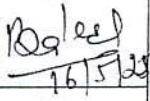
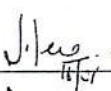
डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.05.2025 at 11:20 A.M. in the case of श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्क्लेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	सचिव, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली		
1.	Vikas Kalia Asst. Dir.	9891307020	
2.	Mr. Balraj Kumar Vijay Kumar	8087011002597	
3.	Tejendra Kumar Dy. Director	978455462	
4.	Hari Singh Meena	9042535605	
5.			
III	शिकायतकर्ता		
1.	Hari Singh Meena	7042535605	
2.			